



POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 02.01.2026

1. थाना इकोटेक-3 पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ के सम्बन्ध में-

विवरण-- दिनांक 02.01.2026 को थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के बिजली घर, जलपुरा के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी पुलिस टीम को एक मोटरसाइकिल पर सवार एक संदिग्ध युवक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त युवक को रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार युवक रुकने के बजाय मोटरसाइकिल को तेज गति से चलाते हुए हबीबपुर की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर उपरोक्त युवक की मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई, जिस पर मोटरसाइकिल सवार युवक द्वारा स्वयं को घिरता हुआ देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल अभियुक्त की पहचान अजय नाथ पुत्र महिपाल नाथ निवासी ग्राम बिसरख, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष के रूप में हुयी है। घायल बदमाश के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्ट्स, एक लाल मिर्च का पैकेट व एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो रास्ते में आते-जाते लोगों की आंख में मिर्च डालकर लूट व चोरी की घटना कारित करता है। अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण-- अजय नाथ पुत्र महिपाल नाथ निवासी ग्राम बिसरख, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

- मु0अ0सं0- 058/2017 धारा 392/411 भादवि थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
- मु0अ0सं0- 181/2017 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
- मु0अ0सं0- 093/2017 धारा 323/324 भा द वि थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर।
- मु0अ0सं0- 369/2019 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना ननौता, सहारनपुर।
- मु0अ0सं0- 584/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना पिलखुआ, हापुड़।
- मु0अ0सं0- 005/2026 धारा 303(2) बी एन एस थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
- मु0अ0सं0- 007/2026 धारा 109/ 303(2)/ 317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्स एक्ट थाना इकोटेक तृतीय, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. एक टीवीएस स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल (चोरी की)
2. 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस
3. एक लाल मिर्च का पैकेट

2. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा मोबाइल टॉवर के आरोआरोयू उपकरण चोरी करने वाले 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से एक आरोआरोयू उपकरण, एक चोरी की मोटरसाइकिल व 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 02.01.2026 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से मोबाइल टॉवर के आरोआरोयू उपकरण चोरी करने वाले दो अभियुक्त 1. सविन्द्र पुत्र विकारी 2. गगन पुत्र बलराज सिंह को थाना क्षेत्र के पी-3 गोल चक्कर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से एक आरोआरोयू उपकरण, चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेन्डर नं0- UP13R5946 व एक अवैध चाकू बरामद किया गया है।

अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर हैं, जो रैकी करके मोबाइल टॉवर से आरोआरोयू उपकरण व मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। अभियुक्तों द्वारा करीब एक माह पूर्व नोएडा से मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेन्डर नं0 UP13R5946 को चोरी किया गया था व 4-5 दिन पहले आरोआरोयू उपकरण को कासना ईटवेल होटल के पास, टॉवर से चोरी किया गया था। आज अभियुक्तगण चोरी की मोटरसाइकिल से चोरी किये गये आरोआरोयू उपकरण को बेचने के लिये जा रहे थे।

अभियुक्तों का विवरण--

1. सविन्द्र पुत्र विकारी निवासी ग्राम जोट, थाना औरंगाबाद, जनपद बुलन्दशहर।
2. गगन पुत्र बलराज सिंह निवासी ग्राम जोट, थाना औरंगाबाद, जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरण--

1. मोबाइल टॉवर का एक आरोआरोयू उपकरण (कीमत करीब 3 लाख रुपये)
2. एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लैन्डर नं0- UP13R5946
3. एक अवैध चाकू

3. थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन व 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही का विवरण— दिनांक 02.01.2026 को थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से मोबाइल फोन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गौरव गुप्ता उर्फ भुद्धा पुत्र नन्हे को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 02 चोरी के मोबाइल फोन व 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह राह चलते लोगों व दुकानों के आस-पास खड़े लोगों के रखे हुए फोन को चोरी कर घटना को अंजाम देता है तथा चोरी के फोन को राहगीरों को अपनी मजबूरी बताकर बेच देता है।

अभियुक्त का विवरण— गौरव गुप्ता उर्फ भुद्धा पुत्र नन्हे निवासी हरौला, सेक्टर-5, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर, उम्र 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/ आपराधिक इतिहास का विवरण—

- मु0अ0सं0-358/2023 धारा 414 भादवि व 4/25 A ACT थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।
- मु0अ0सं0-06/2026 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 A ACT थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण—

- 02 चोरी के मोबाइल फोन
- 01 अवैध चाकू